

प्रश्न सं. [क. 2379]

31

कार्यालय राज्य योजना मंडल

आवक क्रमांक... 1585

दिनांक... 29 MAY 2007

12

मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय

CCP

क्रमांक- /4111/06/23/यो. आ. सां. भोपाल, दि.
प्रति,

श्रेष्ठ,
जिला-नरसिंहपुर,
मध्य प्रदेश

ads/07
C-07

विषय :- जनजाति दारी योजना नियम, 2000 में संशोधन के संबंध में
मा निर्णय बाबत ।

सन्दर्भ :- ज. यो. म. सं. का सं. क्र. 1872/जियोअ/06/
क. मा. , दिनांक 19-06-2006.

हजार (5)
29/5/07

-J-

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के ज्ञाप क्रमांक एक g-2E/
05/23/यो. आ. सां. दिनांक 30.06.2006 द्वारा जारी आदेश स्पष्ट है । आदेश के
अनुसार शासकीय अंशदान की सीमा अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य वाली ग्राम
पंचायतों/नगरीय निकाय क्षेत्रों में 75 प्रतिशत रहेगी । अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य
ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के निर्धारण के लिए वर्ष 2001 की जनगणना के
आकड़े आधार हेतु मान्य होंगे । शेष क्षेत्रों में शासकीय अंशदान की सीमा 50 प्रति
शत रहेगी ।

15
A (R)
29/5/07

डॉ. पी. अहिरवार
उप सचिव,

म. प्र. शासन, योजना, आर्थिक एवं सां. विभाग

पृ. क्र. 1162 /4111/06/23/यो. आ. सां. भोपाल, दि 29/5/07
प्रतिनिधि :-

सदस्य सचिव, राज्य योजना मंडल, विंध्याचल भवन, भोपाल

Asst (5)

श्री बाबु

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन

21